न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना

महोदय,

वकील वादी श्री K.S.P. ने पेश किया

1. वाद अन्दर मियाद पेश किया है।
2. न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्र का है।
3. नियामानुसार उचित कोर्ट फीस पर पेश किया है।
4. प्रतिवादीगण का पूर्ण पता अंकित है।
5. वाद प्रत्र की प्रतियां वाद पत्र के संलग्न हैं।
6. वादी का शपथ पत्र संलग्न है।
7. तलवाना उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत किया है।तथा नोटिस के साथ वाद पत्र की प्रतियां संलग्न है।
8. पर्याप्त वाद हेतुक दर्शाया गया है।
9. वाद पत्र के साथ नवीनतम आवश्यक राजस्व रेकार्ड संलग्न है।

हस्ताक्षर रीडर

19.8.19 रिपोर्ट सरिस्ता देखी गई वादी वकील उपस्थित है। वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन्न / नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली वास्ते तलवी एवं जवाब दिनांक 24-9-19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

24/9/19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. वकील वादी द्वारा पत्रावली में नोट प्रेस का निवेदन किया है कि अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। व कार्यवाही आगे नहीं चलाना चाहते है।

अतः नोट प्रेस किया जाकर प्रकरण खारिज वादी ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली [illegible] होकर [illegible] हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़